(c) There is no provision under the Special Marriages Act, 1954 under which the applicant has to declare his/her caste, religion and the State to which he/she belongs.

अनाथ बच्चों को सहायता

4188. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या कांड के परिणामस्वरूप अनाथ हुये बच्चों को नेशनल फाउंडेशन के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने बच्चों का पता चला है ?

गृह संत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् । नेशनल फाउंडेशन की, दिनांक 24-7-1991 के बाद सांप्रदायिक दंगों में निराश्रित हुये बच्चों की सहायता करने की एक योजना है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली में सीलमपुर में हुये दंगों से प्रभावित 16 बच्चों को इस योजना के अधीन सहायता स्वीकृत की गई है । अन्य राज्यों में इस प्रकार के प्रभावित बच्चों की पहचान का कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है ।

सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए धनराशि का आवंटन

4189. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों के लिये धनराशि आवंटित करते समय स्थानीय प्रतिनिधियों से परामर्श नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों में रहनेने वाले लोगों को सहायता उपलब्ध कराते समय स्थानीय प्रतिनिधियों से परामर्श करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री पी. एम. सईद)** : (क) से (ग) लोक व्यवस्था बनाये रखने का विषय राज्य सरकार का है जैसा कि संविधान की सातवीं अनुसूची-II (राज्य सूची) में दिखाया गया है । राज्य सरकार द्वारा राहत उपलब्ध कराई जाती है । सहायता किस प्रकार दी जानी है और इस बारे में किन व्यक्तियों/एजेंसियों से परामर्श करना है, इसका निर्णय राज्य सरकारें करती हैं ।

Revelations by M/s Aisha Firdos

4190. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the recent arrest of M/s. Aisha Firdos Andrabi, the Chief of banned militant organisation of women of Kashmir, Dukhieran-e-militant and her husband have revealed any fresh information about any missing links in the modus operandi of Pak-backed Jammu and Kashmir militants;

(b) if so, the details of the fresh revelations; and

(c) whether further steps are being taken to liquidate the activities if the militants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The case relating to Mrs. Aisha Firdos Andrabi and her husband is still under investigation, and therefore, it will be premature to (disclose any information at this stage.

(e) Sustained pressure is being maintained on the militants, a close watch is being kept on the situation and related security measures have been tightened.

Guidelines regarding Z-category security

4191. SHRI V. HANUMANTHA RAO; Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the guidelines for ac cording Z-category security to an in dividual; and

(b) whether ex-Chief Minister qualify for Z-Category security?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) The scale of security arrangements depends upon the perceived level of threat as per the assessment of the security agencies for each individual.

(b) Security arrangements are provided on the basis of threat faced by an individual. The responsibility for providing security to a threatened individual within its jurisdiction rests with the state govemment/UT administration concerned.

Landing of Arms at Bombay and Gujarat

4192. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HOME AFF AIRS be pleased to state:

(a) whether government are aware of increase in the activity on the high seas recently in which boats from the neighbouring countries, piled with latest firearms have landed undetected by the local police at Bombay and Gujarat; and

(b) if so, the details thereof; and what steps Government have taken/ propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFF-AIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) Possibilities of efforts to smuggle arms and explosives through sea route on West coast is a matter of concern and Government have alerted the concerned State and Central agencies to maintain utmost alert and vigil to foil such efforts.

रैलियों पर प्रतिबंध

4193. **डा. बापू कालदाते :**
श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 फरवरी, 1993 को दिल्ली में आयोजित रैली के संबंध में प्रबंध करने हेतु सरकार को कितनी वित्तीय हानि हुई ;

(ख) क्या सरकार भविष्य में ऐसी रैलियों पर, जिनमें सांप्रदायिक तनाव बनता है, प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) से (घ) भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबंधित रैली के संबध में "बल" की आवश्यकता का आंकलन, दिल्ली प्रशासन के परामर्श से किया गया था और तदनुसार, अर्द्धसैनिक बल तैनात किये गये थे । संघ शासित क्षेत्रों में अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती पर आने वाले व्यय को, उनके सामान्य बजट में से ही पूरा किया जाता है और प्रत्येक तैनाती के लिये इसका अलग से लेखा जोखा नहीं रखा जाता । दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया